



कुलसचिव
Registrar

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ-226007 (उ.प्र.) भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007 (U.P.) India

Ref. R /1093/24
Date 25/11/24

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त महाविद्यालय,
(लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर)

महोदय/महोदया,

कृपया उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या 3068/सत्तर-3-2024 दिनांक 25.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, इस समय भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। इस हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2024-25 में संविधान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। संविधान दिवस के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में उक्त कार्यक्रम दिनांक 26.11.2024 को प्रातः 9.30 से प्रारम्भ होंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा समस्त छात्र/छात्राओं सहित पूर्वाह्न की अवधि में संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं अपराह्न की अवधि में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन सुनिश्चित किया जाय।

इसके अतिरिक्त संविधान के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्षपर्यन्त विशिष्ट तिथियों यथा दिनांक 26 नवम्बर, 26 जनवरी 14 अप्रैल, 15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को संविधान के मूल्यों/आदर्शों/मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाये जाने वाले कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विद्या नन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. निदेशक, आई0पी0पी0आर0।
4. कार्यालय पत्रावली।

(विद्या नन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव।

संविधान दिनांक 26.11.2024

संख्या-3068/सत्तर-3-2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक : 25 नवम्बर, 2024

विषय: संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2024 को स्वतंत्रता के अमृत काल के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय कार्य अनुभाग-2 के पत्र संख्या-460/90-मं-2-2024, दिनांक 20.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। इस हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2024-25 में वर्ष-पर्यन्त संविधान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। भारत के संविधान को अंगीकृत किये जाने की तिथि 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उक्त अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उक्त कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 26.11.2024 को प्रातः 09:30 बजे से प्रारम्भ होंगे।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा राजकीय तथा अशामकीय सहायता महाविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा समस्त छात्र/छात्राओं सहित पूर्वाहन की अवधि में संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं अपराहन की अवधि में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन सुनिश्चित किया जाय।

4- इसके अतिरिक्त संविधान के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विशिष्ट तिथियों यथा-दिनांक 26 नवम्बर, 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को संविधान के मूल्यों/आदर्शों/मैलिक कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाये जाने वाले कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Sipu Giri
(शिपू गिरि)
Date: 25-11-2024 18:02:12
विशेष सचिव।

संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2024)

संख्या- 460 /90-सं-2-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

No. 10891.VIP/NE/CD/PP/CO/2024

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
- 2-समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 3-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संसदीय कार्य अनुभाग-2

लखनऊ :दिनांक 20 नवम्बर, 2024

विषय: संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2024 को स्वतंत्रता के अमृत काल के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। इस हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में वर्ष-पर्यन्त संविधान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है जिसके लिए संसदीय कार्य विभाग को 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उक्त अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उक्त कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 26-11-2024 को प्रातः 9:30 बजे से प्रारम्भ होंगे तथा मुख्य कार्यक्रम लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की जायेगी। उक्त कार्यक्रम में समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वयं प्रतिभाग करते हुए अपने विभाग में कार्यरत अनु सचिव एवं उससे उच्चतर अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाय। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम की समस्त व्यवस्था (मंच की साज-सज्जा, मंच संचालन एवं सूक्ष्म जलपान एवं सचिवालय के समस्त भवनों में प्रकाश की व्यवस्था) सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। शासन स्तर पर आयोजित किए जा रहे संविधान दिवस के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के सरकारी कार्यालयों,

100/10/5-6/24

21/11/24
(एम० पी० अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा, नगरिक नैडल एवं सहकारिता
राजनैतिक पेंशन एवं सहकारिता
उत्तर प्रदेश शासन

22/11/24
(शिपू गिरि)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग

DS
hi

22/11/24
(शिपू गिरि)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग

22/11/24
MISS
22/11/24

नगरीय निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित किया जाय। कार्यक्रम में संविधान से सम्बन्धित वृत्त चित्र का प्रसारण भी किया जाय।


2- प्रदेश के समस्त जनपदों में उक्त अवसर पर प्रातः 9:30 बजे जनपद के प्रभारी माननीय मंत्री/माननीय वरिष्ठ सांसद/जनपद के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में तथा प्रदेश के समस्त नगर निकायों/ जिला पंचायतों/ क्षेत्र पंचायतों/ ग्राम पंचायतों में क्रमशः महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में उनके कार्यालयों/सभाकक्षों में एवं प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालय के अधिवक्ता सभागारों में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा अधिवक्ताओं के साथ (न्याय विभाग के माध्यम से) बाबा साहब डा० भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा/छायाचित्र के समक्ष संविधान की प्रति के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाय। इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाय।

3- इस अवसर पर संविधान की विशिष्टताओं एवं उनमें वर्णित मौलिक कर्तव्यों पर प्रदेश के सरकारी/निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पूर्वान्ह की अवधि में प्रधानाचार्य अथवा वरिष्ठ शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष उदबोधन देकर प्रस्तावना का वाचन किया जाय तथा अपरान्ह की अवधि में भारत के संविधान एवं उसमें उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों पर प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए वाद-विवाद एवं पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 03 छात्र/छात्राओं को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाय। प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) की समस्त कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा समस्त छात्र/ छात्राओं सहित पूर्वान्ह की अवधि में संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं अपरान्ह की अवधि में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय।

4- संविधान के अमृतकाल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विशिष्ट तिथियों यथा- दिनांक 26 नवम्बर, 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को संविधान के मूल्यों /आदर्शों/ मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाये जाने वाले कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाय। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13-01-2025 से दिनांक 26-02-2025 तक जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है। उक्त अवधि में महाकुम्भ मेला क्षेत्र में उपयुक्त स्थल पर संविधान गैलरी का निर्माण किया जाय, जिसमें संविधान सभा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्तियों/ महापुरुषों के चित्र एवं उनके विशिष्ट उदबोधन को वृत्त चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाय। इस हेतु प्रमुख सचिव, विधान सभा, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, प्रमुख सचिव, विधायी एवं प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा भी वांछित सहयोग प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

5- संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाय। प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियो क्लिप की प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा संसदीय कार्य विभाग की ई-मेल आईडी psparupgov@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाय।


6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संविधान दिवस (दिनांक 26 नवम्बर, 2024) के अवसर पर उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए अपने अधीनस्थों को भी अपने स्तर से निर्देशित करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या- (1)/90-सं-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मंत्री मण्डल सचिव, भारत सरकार।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- 3- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 6- निजी सचिव, मा० संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे०पी० सिंह-11)
प्रमुख सचिव।

(6)

S 03
NSS से संबंधित पत्र दिनांक 21.11.2024 / 25.11.2024
को जारी किया जा चुका है। एक सामान्य परिपत्र
जो समस्त शैक्षणिक संस्थानों को जारी किया जाता है
अधिसूचना 3 से अपेक्षित है।

[Signature]
25.11.2024
OSD & SLO NSS Cell
HE Dept, UP

संख्या 3058

सत्तर-3-2024

संख्या-503/सत्तर-रा0से0यो0को0-2024

प्रेषक,

कल्लू प्रसाद द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- कार्यक्रम समन्वयक,
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2- उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग
विषय:- संविधान दिवस आयोजन के सम्बन्ध में।

लखनऊ: दिनांक 21 नवम्बर, 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, निदेशालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, नई दिल्ली के पत्र F.No.P.32-1/NSS/DTE/2024/2444-2461 दिनांक 08.11.2024, ई-मेल पत्र दिनांक 20.11.2024 एवं भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय के पत्र संख्या 15-1/रा0से0यो0/क्षे0नि0/लख/2024-25/6941-7012 दिनांक 20.11.2024 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से समस्त कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित विश्वविद्यालय एवं समस्त उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों के स्वयंसेवक/स्वयंसेविकाओं के माध्यम से **दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम-व्याख्यान, सेमिनार, वेबिनार, पद यात्राएं, विभिन्न प्रतियोगिताएं इत्यादि अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जानी है।**

2- इस सम्बन्ध में दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर समस्त कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित विश्वविद्यालय एवं समस्त उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों के स्वयंसेवक/स्वयंसेविकाओं के सहयोग से **विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में संविधान के प्रस्तावना पर शपथ ग्रहण समारोह इत्यादि उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है समस्त कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित विश्वविद्यालय एवं समस्त उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों के स्वयंसेवक/स्वयंसेविकाओं के माध्यम से **दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।** कार्यक्रम/गतिविधियों की फोटोग्राफ्स, वीडियो एन0एस0एस0 की विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाए। तथा समेकित आख्या (फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिपिंग एवं समाचार पत्रों की कतरने) क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ के ई-मेल-nssrelucknow@gmail.com तथा शासन के ई-मेल-upsno.luck@gmail.com पर प्रेषित करें। **कार्यक्रम/गतिविधियों की MY Bharat Portal पर Event Create अनिवार्य रूप से किया जाए तथा संस्था के KI पर भी अपलोड अवश्य कराएं।**

संलग्नक: यथोक्त।

श्री शशि
22/11/2024

भवदीय,
(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
विशेष सचिव

संख्या-503(1)/सत्तर-रा0से0यो0को0-2024,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2- निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 3- निदेशक, भारत सरकार, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 5- कुलसचिव, रा.से.यो. से सम्बन्धित विश्वविद्यालय।
- 6- क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0-1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच0, अलीगंज, लखनऊ।
- ✓7- उच्च शिक्षा अनुभाग-3

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
विशेष सचिव

